सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 201/2017 (2017/00241)

वादीगण

1. श्रीमती मीरा पत्नी झूतांराम जाति मेघवाल निवी रसाल तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चांदू देवी पत्नी श्री गुलाब
2. पान्डुराम पुत्र श्री गुलाब
3. पांचूराम पुत्र श्री गुलाब
4. इल्लू पुत्र श्री गुलाब
5. गुडडी पुत्री श्री गुलाब
6. बसन्ती पुत्री श्री गुलाब
7. रीना पुत्री श्री गुलाब
8. टीना पुत्री श्री गुलाब
9. संजू पुत्री श्री गुलाब
10. जितू पुत्र श्री पप्पू
11. कालीचरण पुत्र श्री पप्पू
12. डेनी पुत्र श्री पप्पू
13. गोमती पुत्री श्री पप्पू जाति समस्त नट निवासी रसाल तहसील कुचामनसिटी।
14. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार, कुचामनसिटी

वाद बाबत इस्तकरार हक, भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बोदूराम अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक: 28/03/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 870, 871, 921 कुल रकबा 2.91 है0 में वादीया की 0.1618 है0 कब्जासुदा खरीदसुदा भूमि आई हुई है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र में शामिल है। तत्कालिन खातेदार गुलाब पुत्र भेरूराम की उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मूल रकबा 2.91 है0 में से 2.14 है0 खातेदारी रहने से दिनांक 26.12.2014 को गुलाब पुत्र भेरूराम ने 0.1618 है0 का बेचान वादीया के नाम हुआ था। बेचाननामा की फोटो प्रति पटवार हल्का रसाल को नामान्तकरण हेतु दी गई। पटवारी से मांग करने पर बताया की उक्त खसरान की भूमि का बंटवारा दिनांक 18.11.2016 को जरीये नामान्तकरण संख्या 1108 के अनुसार हो चुका है जिसमें तुम्हारे द्वारा खरीद की गई भूमि का नया खसरा नम्बर 1464/921 रकबा 0.3614 है0 है। खरीद की गई भूमि नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भू विभाजन नहीं हो रखा है। नजरी नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है। खसरा नम्बर 1464/921 की भूमि से वादीया अपने हक हिस्से की 0.3614 है0 में से 0.1618 है0 भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भू विभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग कराना चाहती है इसलिए ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1464/921 कुल रकबा 0.3614 है0 में से 0.1618 है0 का वादीया को खातेदार काश्तकार की घोषणा फरमाकर नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क ए बी सी डी अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भू विभाजन कर सेपरेट होल्डिंग कायम कर नक्शे में तरमीम करने का तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 23.11.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के खिलाफ इकतरफा की हुई है। दिनांक 13.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 14 के खिलाफ इकतरफा की हुई है। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुये। वकील वादीया ने गवाह पेश नहीं कर बहस सुनाई बाद बहस वादीया का वाद पत्र संलग्न खतौनी, बेचाननामा, प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी आदि का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस का मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है की वादीया ने ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 870, 871, 921 में गुलाब पुत्र भेरूराम जाति नट से दिनांक 26.12.2014 को 0.1618 है0 भूमि जरीये रजिस्टर्ड खरीद की है जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से वादीया ने वाद पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब शामिल मिसल नही है न ही उक्त बेचाननामा को संबंधित न्यायालय में चुनौती देना

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागोर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली में नहीं है इसलिए उक्त विवेचन से वादीया का वाद काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 1464/921 रकबा 0.3614 है0 में 0.1618 है0 का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। डिक्री परचा भरा जाकर शामिल मिसल हो। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 28/03/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)